राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0–30–95 / 2026...3768

प्रेषक,

शम्भु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद

पटना, दिनांक–15.09.2026

विषय : 2011 की जनगणना में ओबरा राजस्व ग्राम का EB NULL प्रदर्शित होने के संबंध में।
प्रसंगः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्रांक–1914 दिनांक 09.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा वर्ष–2011 की जनगणना में ओबरा प्रखंड के ओबरा राजस्व ग्राम को ग्रामीण ईकाई में गणना नहीं करके इसे एक अलग शहरी ईकाई के रूप में गणना किया गया हैं,जिसे सुधार करने के संबंध में अनुरोध प्रेषित हैं।

ज्ञातव्य हो कि आयोग के पत्रांक–3691 दिनांक 09.09.2026 के द्वारा राजस्व ग्राम ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में अवस्थित होने संबंधी सत्यापन हेतु पत्र के साथ प्रपत्र–क,ख,ग संलग्न करते हुए संबंधित जिला को प्रेषित किया हैं। साथ ही इससे संबंधित प्रविष्टि में आयोग के पोर्टल पर भी अपडेट करके आयोग को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। विदित हो इस संबंध में DPRO/DIO/IT Manager/BDO/तकनीकी सहायक सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया है, परन्तु उस प्रक्रिया का पालन नही किया जा रहा हैं,जिसके कारण EB मैप निर्माण में त्रुटियाँ ज्यादा प्रदर्शित हो रही हैं।

ऐसा देखा जा रहा हैं कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन के बगैर ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सीधे आयोग से पत्राचार किया जा रहा हैं। इस संबंध में पूर्व में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा असंतोष प्रकट किया जाता रहा हैं, अतएव आयोग से पत्राचार केवल जिला निर्वाचन पदा0–सह–जिला पदाधिकारी स्तर से ही किया जाए।

अतः अनुरोध हैं कि आयोग को भेजने के पूर्व अपने स्तर से गंभीरता से समीक्षा करके समस्याओं का निराकरण किया जाय एवं विशेष परिस्थिति में ही आयोग को मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

15/9/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847} E-mail: secbihar@gmail.com

E:\dhiru\RKJ\RK\Letter.docx